189

संख्या– 988/XXVIII-4-2015-31/2014

प्रेषक,

अतर सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4 **देहरादून : दिनांक 11 सितम्बर, 2015**

विषय वित्तीय वर्ष 2015–16 में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत परिवार कल्याण उपकेन्द्र मिरचौड़ा के भवन निर्माण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–7प/1/28/2014/16885, दिनांक 10.07.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–704/XXVIII-4-2014-31/2014, दिनांक 25.09.2014 द्वारा विषयगत भवन निर्माण हेतु प्रथम चरण में ₹ 0.30 लाख की स्वीकृति पूर्व में प्रदान की जा चुकी है।

2– उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत परिवार कल्याण उपकेन्द्र मिरचौड़ा के भवन निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी द्वारा गठित उपलब्ध कराये गये आगणन ₹ 29.42 लाख का विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरान्त सिविल कार्यो हेतु ₹ 27.75 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कार्यो हेतु ₹ 0.57 लाख, इस प्रकार कुल ₹ 28.32 लाख (₹ अट्ठाइस लाख, बत्तीस हजार मात्र) की औचित्यपूर्ण धनराशि के सापेक्ष पूर्व में स्वीकृत ₹0.30 लाख की धनराशि का समायोजन करते हुए अवशेष ₹ 28.02 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति इस मद में वर्तमान में उपलब्ध बजट व्यवस्था ₹ 21.68 लाख (₹ इक्कीस लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृति की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
2. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
3. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
4. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए। कार्य की प्रगति की निरन्तरता व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समयसारणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब या किन्हीं अन्य कारणों से आंगणन पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा। उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15–12–2008 के

क्रमशः–2

अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
6. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन(केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
7. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
8. यदि उक्त कार्य हेतु प्रथम चरण के कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गयी है और प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यदि स्वीकृत राशि में बचत है तो उसे द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित कर लिया जाय।
9. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
10. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 4211–परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय–101–ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा–03–उपकेन्द्रों के भवन का निर्माण–24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–181(P)/XXVII-(3) /2015-16, दिनांक 10–09–2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न- Allotment I.D.

भवदीय

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या– 988(1)/XXVIII-4-2015-31/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढवाल।
8. परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी गढवाल।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/चिकित्सा अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव